राजस्थान सरकार
निदेशालय निरीक्षण विभाग, राजस्थान, जयपुर
कार्यालय आदेश
संशोधित आन्तरिक जॉच कार्यक्रम

विभागीय समसंख्यक आदेश क्रमांक 13331–340 दिनांक 21.09.2016 में आंशिक संशोधन करते हुए प्राचार्य, राजकीय श्री कल्याण महाविद्यालय, सीकर का अंकेक्षण कार्यक्रम स्थगित कर श्री इन्द्रजीत टण्डन, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–प्रथम एवं प्रभारी, आन्तरिक जॉच दल संख्या 7 मु0–जयपुर (दल सदस्य श्री राजेश कुमार शर्मा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–प्रथम) का संशोधित आंतरिक जॉच कार्यक्रम माह दिसम्बर, 2016 तक का निम्न अंकितानुसार जारी किया जाता हैं :–

क.सं.	कार्यालय का नाम	लेखा वर्ष	कुल वर्ष	कार्य दिवस	अवधि
1.	सचिव, इन्दिरा गाँधी नहर मण्डल, जयपुर	2013–16	3	21	30.11.2016 से 30.12.2016

विशेष निर्देश :–

1. प्रत्येक जांच कार्यक्रम प्रारम्भ की सूचना आवश्यक रूप से अधोहस्ताक्षरकर्त्ता या प्रभारी आंतरिक जांच शाखा को फोन पर दी जावे। तत्पश्चात् कार्य प्रारम्भ की सूचना उस विभाग के विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष का नाम व उस विभाग के दूरभाष नम्बर सहित लिखित में विभाग को आवश्यक रूप से प्रेषित की जावे।
2. आंतरिक जॉच सम्बन्धि कार्य, Manual for Inspection Parties of accounts and stores, 1982 वित्त (राजस्व एवं लेखा–1) विभाग के परिपत्र दिनांक 26.06.1976 एवं विभाग के परिपत्र दिनांक 10.09.2015 के तहत प्रदत्त निर्देशो अनुसार सम्पादित किया जावे
3. प्रत्येक सोमवार/आगामी कार्य दिवस को कार्यालय में अंकेक्षण संबंधी हुए कार्य की प्रगति, रिकॉर्ड देने, नही देने की वस्तुस्थिति का संक्षिप्त विवरण प्रेषित करेंगें।
4. निर्धारित आंवटित समय पर ही जांच कार्य पूर्ण किया जाना आवश्यक है। यदि आवश्यक कारणों से ऐसा सम्भव न हो तो अंकेक्षण समाप्ति से एक सप्ताह पूर्व समय रहते निदेशक से अवधि बढ़ाने की अनुमति प्राप्त कर विभाग से सक्षम स्वीकृति प्राप्त की जावे।
5. अंकेक्षण के दौरान जांच प्रतिवेदनो के बकाया अनुच्छेदों की अनुपालना प्राप्त कर आवश्यक कार्रवाई करेगें तथा प्रतिवेदन के साथ पृथक से प्रस्तुत करेगें।
6. जिन विभागों/कार्यालयों में शनिवार का कार्य दिवस होता है उन कार्यालयों का अंकेक्षण कार्यक्रम आवंटित होने पर जाँच दल उन विभागों/कार्यालयों में शनिवार कार्य दिवसों को भी अंकेक्षण कार्य संपादित करेंगे।
7. प्रत्येक जॉच प्रतिवेदन के साथ अनुच्छेदों का वर्गीकरण प्रपत्र पैरा विवरण, कोड सहित (2 प्रति में), सम्बन्धित सम्पूर्ण परिशिष्ठों के दो सेट एवं जांच दल की दैनिक कार्य विवरण डायरी (2 प्रति में), निर्धारित प्रपत्र में आवश्यक रूप से संलग्न कर भिजवायेगें।
8. अंकेक्षण कार्यक्रमों के मुख्यालय को प्रस्तुत यात्रा भत्ता बिलों के साथ आदेशो की प्रति, अवधि की दैनिक कार्य डायरी, उपस्थिति पंजिका प्रति आवश्यक रूप से संलग्न करना सुनिश्चित करें।
9. जांच प्रतिवेदन कम्प्यूटर पर टंकित कराकर प्रेषित किये जावे। जॉच प्रतिवेदन के प्रत्येक पृष्ठ पर जॉच दल के हस्ताक्षर अंकित करे, जॉच प्रतिवेदन अंकेक्षण समाप्ति के बाद शीघ्र विभाग को आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

उपरोक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावे।

(राजकुमार मीणा)
अतिरिक्त निदेशक (आन्तरिक जाँच)

क्रमांक : एफ.6(आई)प्रोग्राम/आ.जा.द.7 /निरी./ 16896 – 16901

दिनांक : 29/11/2016

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (अंकेक्षण) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. अतिरिक्त निदेशक, वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर को वित्त अंकेक्षण विभाग के पत्र क्रमांक प.6(1)वित्त/अंके./2012 पार्ट–II दिनांक 31.07.2012 के क्रम में उक्त जाँच कार्यक्रम वित्त विभाग की वेबसाईट पर प्रसारित करने हेतु प्रेषित है।
3. प्राचार्य, राजकीय श्री कल्याण महाविद्यालय, सीकर को प्रेषित कर निवेदन है कि आपके कार्यालय के लेखो का वर्तमान में प्रस्तावित अंकेक्षण कार्यक्रम स्थगित रखा जाता है।
4. श्री इन्द्रजीत टण्डन, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–प्रथम एवं प्रभारी, आन्तरिक जॉच दल सं. 7 मु0–जयपुर को जॉच दल के पत्र दिनांक 29.11.2016 के सन्दर्भ में प्रेषित कर निर्देश प्रदान किए जाते हैं कि विभाग द्वारा जारी उक्त संशोधित आन्तरिक जॉच कार्यक्रम निर्धारित क्रमानुसार एवं समयानुसार ही सम्पादित करें। मुख्यालय उपस्थित होकर जॉच कार्य की प्रगति से अवगत कराने हेतु जॉच दल का दिनांक 02.12.2016 एवं 02.01.2017 का मुख्यालय रखा जाता है।
5. निजी सचिव, निदेशक महोदय।
6. अतिरिक्त निदेशक (आ.जाँच)

(राजकुमार मीणा)
अतिरिक्त निदेशक (आन्तरिक जाँच)

चतुर्थ तल, ए–ब्लॉक, वित्त भवन, ज्योति नगर, जयपुर टेलीफैक्स –0141–2740324 ईमेल–dir-ins-rj@nic.in